राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(21) ग्रावि–5/पीएफएमएस/इ.आ./2015–16 दिनांक 26 मई, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषयः– इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अवशेष राशि दिनांक 31.03.2016 को राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत खाते में हस्तान्तरण बाबत्।

संदर्भ :– भारत सरकार के पत्र क्रमांक M-12016/01/2016-RH(A/c) दि. 27.01.2016, 19.02.2016 एवं 07.03.2016

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 28.01.2016, 08.03.2016, 06.04.2016, 21.04.2016, 28.04.2016 एवं 12 मई, 2016.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का प्रसंग लेवें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर उपलब्ध इन्दिरा आवास योजना की राशि को 31.01.2016 तक राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत खाते में हस्तान्तरण के निर्देश प्राप्त किये गये है। उक्त की अनुपालना में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको केन्द्रीकृत खाता 14630100009325 में समस्त राशि को हस्तान्तरित करने बाबत् निर्देश प्रदान किये है। उक्त आदेशों के बावजूद भी कुछ जिलों द्वारा राशि हस्तान्तरण आदेश जारी करने के उपरान्त भी सम्बन्धित बैंक से केन्द्रीकृत खाते में रा0श हस्तान्तरण नहीं करवाई गई है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही दिनांक 24.05.2016 तक अमल में लाकर अन्तिम सूचना विभागीय ई–मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर प्रेषित करावें।

1. दिनांक 24.05.2016 तक अद्यतन विभिन्न बैंक खातों के पासबुक की प्रति।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र कि उनके जिले में उनके स्तर पर संचालित किसी भी बैंक खाते में इन्दिरा आवास योजना मद की कोई भी राशि उपलब्ध नहीं है।
3. विभागीय पत्र दिनांक 06.04.2016 के साथ प्रेषित प्रारूप अन्तिम सूचना भी भिजवाये ताकि केन्द्रीकृत खाते से राज्य सरकार के मद से अधिक राशि को आहरित कर पीडी खाते में जमा करवाई जा सके। यहॉ उल्लेख है कि यदि किसी भी प्रकार की गणना की वजह से राज्य मद की अधिक राशि केन्द्रीकृत खाते में आप द्वारा बताई गई राशि से अधिक राशि भविष्य में पाई जावेगी तो इस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। **उदाहरणार्थ :–** यदि किसी जिले द्वारा 80 करोड की राशि केन्द्रीकृत खाते में जमा कराकर प्रेषित विवरण में केन्द्रीयांश, राज्यांश के अलावा राज्यांश की अधिक राशि 20 करोड दर्शाई है तब राज्य स्तर से 20 करोड की राशि का आहरण कर पीडी खाते में

जमा करवा दिया जावेगा। भविष्य में यदि त्रुटिवश यह राशि 20 करोड से अधिक या कम जो भी हो, के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सुलभ संदर्भ हेतु राज्य मद की अधिक राशि जिला स्तरीय खातों में निम्न कारणों से हो सकती है:-

1. वर्ष 2006-07 से टीएसपी क्षेत्र को इकाई अनुदान के अलावा मैचिंग शेयरके अलावा राज्य सरकार की और से दी गई अतिरिक्त सहायता राशि व ब्याज।
2. वर्ष 2008-09 से टीएसपी क्षेत्र को छोडकर राज्य के अनुसूचित जाती के पात्र परिवारों को इकाई अनुदान के अलावा मैचिंग शेयरके अलावा राज्य सरकार की और से दी गई अतिरिक्त सहायता राशि व ब्याज।
3. वर्ष 2008-09 से पूर्व पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों को योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि में से उपरोक्त दो कारणों के अनुसार राज्य मद की अधिक राशि।

26/8

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि, जयपुर।
2. निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
4. PD M&E को Website पर Upload हेतु

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Programmer
26/5/16